मिर्ज़ा इक्बाल @गोलू और एएनआर।

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1628)

14 दिसंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

पति के सदस्य-दूसरे प्रतिवादी, के पिता द्वारा दायर शिकायत मृतक विवाहित महिला, यह आरोप लगाते हुए कि मृतक के पति और ससुराल वालों ने एक समान इरादे से उसे पीटा, उसके गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी और उसे फांसी पर लटका दिया-प्रथम अपीलार्थी (उसके बहनोई) सहित सभी नामित अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

मृतक) और कथित अपराधों के लिए द्वितीय अपीलार्थी (मृतक की सास)। 498 - आई. पी. सी. का ए, 323,504,506,304-बी और

एसएस। 3 & 4 दहेज निषेध अधिनियम, 1961-आयोजितः अपीलार्थियों के खिलाफ अस्पष्ट और गंजे आरोपों को छोड़कर, कोई विशिष्ट आरोप नहीं थे जो कथित अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपीलार्थियों की भागीदारी का खुलासा करते थे-अपीलार्थियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला-आई. पी. सी.-एस. 498 - ए, 323,504,506 और 304-बी-दहेज निषेध अधिनियम, 1961। 3 & 4 - न्यायालय का दुरुपयोग।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

दूसरे प्रतिवादी (मृतक के पिता) द्वारा दायर किया गया, जिसके अनुसार एक अपराध दर्ज किया गया था, किसी भी विशिष्ट संकेत का संकेत नहीं देता है। अपीलार्थियों की संलिप्तता का खुलासा करके आरोप। यहां तक कि पुलिस द्वारा दर्ज दूसरे प्रतिवादी के बयान में भी और

अपराधों में अपनी संलिप्तता दिखाने के लिए अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप लगाया। [पैरा 11] [473-सी-डी, ई-जी]

1.2 . अपीलार्थियों के मामले और अभिलेख पर रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है

21] 9 एस सी आर।

कि अपीलार्थियों के खिलाफ अस्पष्ट और गंजे आरोपों को छोड़कर, कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं जो कथित अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपीलार्थियों की भागीदारी का खुलासा करते हैं। कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। [पैरा 12] [475-ई-एफ]

गीता मेहरोत्रा और अन्न। वी. उत्तर प्रदेश राज्य

और एन. आर. , (2012) 10 एससीसी 741: [2012] 9 एससीआर 641 -

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 9 एससीआर 641

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 1628।

उच्च न्यायालय के 10.12.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में इलाहाबाद में न्यायपालिका। विविध। 2018 की धारा 482 No.44475 के तहत आवेदन।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , फ़ुज़ैल अहमद अयूबी, प्रवीण

गौर, करण ममगैन, सुश्री शैया खन्ना, इबादत मुश्ताक, सुश्री आकांक्षा राय, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सहदेव सिंह, सुश्री अलका सिन्हा, अनुव्रत शर्मा, मोहम्मद। असद

खान, शशांक सिंह, डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, अनुपम चौधरी, दानिश जुबैर खान, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह आपराधिक अपील दिनांकित आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है

10.12.2018 2018 के आवेदन No.44475 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित।

3. उपरोक्त आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था

2018 के आरोप पत्र No.01 को रद्द करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 दिनांक 12.10.2018 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश, संज्ञान लेते हुए

आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 323,504,506,304-बी और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (डी. पी. अधिनियम) की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामले के आदेश की तारीख No.0136

2018 का पी. एस.-कोटवाली, जिला गोरखपुर की फाइल पर पंजीकृत।

मिर्ज़ा इक्बाल @गोलू और एएनआर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

4. दूसरा प्रतिवादी-शिकायतकर्ता श्री निसार उल्ला के पिता

चार पहिया वाहन और रुपये की मांग करने के लिए। 10,00,000 / - दहेज के रूप में नकद में। आरोप है कि कथित मांगों को पूरा नहीं करने पर वे उसकी बेटी को पीटते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि घटना की तारीख से दस दिन पहले, सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक समान इरादे से उसकी बेटी को बुरी तरह पीटा था और नकदी और कार की दहेज की मांगों को पूरा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मजबूर होने पर, उसने अपनी व्यावसायिक कमाई से रुपये. 2,70,000/- नकद की राशि भी दी थी, इसके बावजूद, आरोपी कार की मांग करने पर अड़ा हुआ था। लगभग रात 8 बजे, आरोपी व्यक्तियों ने एक समान इरादे से उसकी बेटी को पीटा, उसके गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी और उसे फांसी पर लटका दिया। घटना के बारे में पता चलने पर वह सूरत से अपने बेटे के साथ गया और अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में देखकर वह हैरान रह गया। जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई है, तो उसने आवश्यक कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए एक रिपोर्ट दर्ज की है। उपरोक्त शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 323,504,506,304-बी और डी. पी. अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कथित अपराधों के लिए मृतक के बहनोई और सास सहित सभी नामित अभियुक्तों के खिलाफ।

5. जब अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रद्द याचिका दायर की थी, तो इसे विवादित आदेश द्वारा निपटाया गया था जिसमें अपीलकर्ताओं को नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और जमानत देने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था और उसी पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया गया था। 6. शिकायत के अनुसार, अपराध दर्ज किया गया और पंजीकरण के बाद

जाँच, अंतिम रिपोर्ट 12.10.2018 पर दायर की गई थी और इसे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 22.10.2018 के आदेश द्वारा संज्ञान में लिया गया था।

21] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वकील श्री सहदेव सिंह और मोहम्मद को सुना है। असद खान, प्रतिवादी के विद्वान वकील नं। 2 / शिकायतकर्ता।

8. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने

तर्क दिया कि इसमें पहला अपीलार्थी, मृतक का बहनोई है, जो आईसीआईसीआई बैंक, खलीलाबाद में कैशियर के रूप में काम कर रहा है। घटना की तारीख यानी 24.07.2018 पर, वह ड्यूटी पर था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह आईसीआईसीआई बैंक में अपनी नौकरी को देखते हुए खलीलाबाद में रहता है और उसकी माँ-दूसरी अपीलार्थी शमीमा बानो उर्फ सम्मी भी 2017 से खलीलाबाद में उसके साथ रह रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी,

खलीलाबाद से 40 किलोमीटर दूर गोरखपुर में रात करीब 8 बजे यह घटना हुई। घटना के दिन, वह आईसीआईसीआई बैंक में ड्यूटी पर था और 09 बजे शाखा में प्रवेश कियाः 49 ए. एम. और 06 बजे बाहर आयाः 25 पी. एम इसके बावजूद, अस्पष्ट और गंजे आरोपों पर, अपीलकर्ताओं पर बिना किसी विशिष्ट आरोप के मुकदमा चलाने की मांग की जाती है।

शिकायत या आरोप पत्र में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने वरिष्ठ के समक्ष हलफनामा दायर किया है।

बैंक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी साली यानी मृतक मानसिक अवसाद में थी और उसी के लिए उसका इलाज चल रहा था। यह है। प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा बिना किसी जांच के, आकस्मिक और नियमित तरीके से दायर किए गए इस तरह के हलफनामे के बावजूद, अपीलकर्ताओं के खिलाफ अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप के साथ अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ उनकी सक्रिय भागीदारी का खुलासा करने वाले किसी भी विशिष्ट आरोप के अभाव में, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नियमित और यांत्रिक तरीके से संज्ञान लिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के खिलाफ कोई सामग्री या कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और यदि उन्हें मुकदमे का सामना करने की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपील को अनुमति देकर कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह स्पष्ट रूप से एक उपयुक्त मामला है।

शिकायत में और साथ ही नामों का विशिष्ट उल्लेख आरोप पत्र, यह इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने का मामला नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।

यह मिर्ज़ा इकबाल @गोलू और ए. एन. आर. है। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

प्रस्तुत किया जाता है कि सभी आरोपी Rs.10,00,000/के दहेज की मांग कर रहे थे

और मृतक की एक कार और एक सामान्य के साथ 24.07.2018 पर

- इरादे से, उन सभी ने मृतक को चोट पहुंचाई और अंततः उसे मार डाला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दम घुटने के कारण का पता चलता है, इसलिए कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की साली द्वारा दायर रद्द करने की याचिका को इस अदालत ने दिनांक 15.04.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

10. दोनों पक्षों की विद्वानों की दलीलें सुनने के बाद, हमने विवादित आदेश, अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री और

प्रथम प्रतिवादी-राज्य के साथ-साथ द्वितीय प्रतिवादी-शिकायतकर्ता की ओर से दायर जवाबी हलफनामे।

11. अपीलकर्ता मृतक के क्रमशः बहनोई और सास हैं। द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत का अवलोकन, जिसके अनुसार एक अपराध दर्ज किया गया था, अपीलार्थियों की संलिप्तता का खुलासा करके किसी विशिष्ट आरोप का संकेत नहीं देता है। यह प्रथम अपीलार्थी का विशिष्ट मामला है कि वह गोरखपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर खलीलाबाद शाखा में आईसीआईसीआई बैंक में कैशियर के रूप में काम कर रहा था। कथित घटना 24.07.2018 पर लगभग रात 8 बजे हुई थी। जब जाँच लंबित थी, तब प्रथम अपीलार्थी ने अपने रोजगार का विवरण देते हुए 08.08.2018 पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष हलफनामा दायर किया और कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। यह उनका विशिष्ट मामला था कि प्रासंगिक समय के दौरान, वह आईसीआईसीआई बैंक, खलीलाबाद शाखा, गोरखपुर में काम कर रहे थे और उनकी माँ भी उनके साथ रह रही थीं। शाखा प्रबंधक ने शाखा में अपनी उपस्थिति का समर्थन किया है, जो 09 बजे समय पर दर्शाता हैः 49 प्रातः 6 बजे और बाहर जाने का समयः 25 अपराह्न। यहां तक कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दूसरे प्रतिवादी के बयान में और Cr.P.C की धारा 173 (2) के तहत दायर अंतिम रिपोर्ट में भी, सर्वव्यापी और अस्पष्ट आरोपों को छोड़कर, अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। इस न्यायालय ने बार-बार पति के परिवार के सदस्यों को वैवाहिक विवादों में आकस्मिक संदर्भ देकर उन्हें आरोपी बनाने पर ध्यान दिया है। अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने मामले के समर्थन में गीता मेहरोत्रा और अन्न के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और Anr.[1]। उपरोक्त मामले में, यह न्यायालय समान रूप से

परिस्थितियों ने यह देखते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया है कि पति के परिवार के सदस्यों को आकस्मिक संदर्भ देकर आरोपी के रूप में दिखाया गया था। उसी निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बड़ी संख्या में

1 (2012) 10 एससीसी 741 [2021] 9 एस. सी. आर.

एफ. आई. आर. में परिवार के सदस्यों को लापरवाही से उनके नामों का उल्लेख करते हुए दिखाया गया है और सामग्री उनकी सक्रिय भागीदारी का खुलासा नहीं करती है, जैसे कि उनके खिलाफ मामले का संज्ञान लेना उचित नहीं था। यह भी माना जाता है कि इस प्रकार के मामलों में संज्ञान लेने से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। उक्त निर्णय के पैरा 18 और 25, जो इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, निम्नानुसार पढ़े जाते हैं:

" 18. रमेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिकार (2005) 3 एस. सी. सी. 507: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 735] को यह मानते हुए खुशी हुई कि शिकायतकर्ता द्वारा साली के खिलाफ लगाए गए गंजे आरोप सूचना देने वाले की चिंता का संकेत देते हैं।

पति के रिश्तेदारों में से अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें। यह आयोजित किया गया था

कि न तो प्राथमिकी और न ही आरोप-पत्र ने मजिस्ट्रेट को कथित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया

अपीलार्थियों के विरुद्ध। विद्वान न्यायाधीशों को यह मानते हुए खुशी हुई कि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों और आरोप पत्र की सामग्री को देखते हुए, धारा 498 के तहत कोई भी कथित अपराध नहीं है। ए , 406 आई. पी. सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 शिकायतकर्ता के पति की विवाहित बहन के खिलाफ बनाई गई थी, जो निर्विवाद रूप से शिकायतकर्ता के पति के परिवार के साथ नहीं रह रही थी। सर्वोच्च न्यायालय के उनके अध्यक्षों को यह मानते हुए खुशी हुई कि उच्च न्यायालय को साली को मुकदमे की अग्निपरीक्षा में नहीं डालना चाहिए था। तदनुसार, के खिलाफ कार्यवाही

अपीलार्थियों को खारिज कर दिया गया और अपील को स्वीकार कर लिया गया।

25. हालाँकि, हम सावधानी के रूप में यह जोड़ना उचित समझते हैं कि हमें गलत नहीं समझा जा सकता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि भले ही किसी दिए गए मामले में प्राथमिकी में नामित परिवार के सदस्यों की मिलीभगत का संकेत देने वाले स्पष्ट कार्य के आरोप हों, संज्ञान अनुचित होगा, लेकिन जिस बात पर हम जोर देना चाहते हैं, वह यह है कि यदि प्राथमिकी में सह-अभियुक्त के खिलाफ विशेष रूप से वैवाहिक कलह से उत्पन्न होने वाले मामले में अभियुक्त के खिलाफ विशिष्ट आरोप का खुलासा नहीं किया जाता है, तो यह कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग होगा जब तक कि प्राथमिकी में नामित अभियुक्त को यांत्रिक रूप से मुकदमे से गुजरने के लिए नहीं भेजा जाता है, जब तक कि निश्चित रूप से प्राथमिकी में विशिष्ट आरोपों का खुलासा नहीं होता है जो अदालत को अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए राजी करेगा। यह उल्लेख करने के लिए बहुत अधिक मामलों में निर्धारित सिद्धांत है, कि मिर्ज़ा इकबाल @गोलू और ए. एन. आर।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

यदि एफ. आई. आर. में किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं किया गया है, तो अदालत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने वाली कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगी। इसके साथ-साथ, अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे रद्द करने के मामलों में एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएँ, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों के मामलों में कि क्या प्राथमिकी वास्तव में प्रमुख आरोपी के रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपराध का खुलासा करती है या प्राथमिकी प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के कहने पर आरोपी के पूरे परिवार को शामिल करके अति-आरोपण के मामले का खुलासा करती है, जो अपने नए वैवाहिक परिवेश में बसने के दौरान प्रारंभिक समस्या या घरेलू कलह की झड़प से उत्पन्न अपने मामलों को निपटाने के लिए बाहर निकलती है।

12. द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत के अवलोकन और Cr.P.C की धारा 173 (2) के तहत पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट से, हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णय अपीलार्थियों के मामले का पूरी तरह से समर्थन करता है। यहां तक कि प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाबी हलफनामों में भी। 1 और 2, यह विवादित नहीं है कि पहला अपीलकर्ता खलीलाबाद शाखा में आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा था, लेकिन केवल यह कहा कि एक रात 8 बजे तक गोरखपुर पहुंचने की संभावना है। यद्यपि चोट पहुँचयबाक आरोप अछि, मुदा पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्रमे कोनो आन बाहरी चोट नहि देखल गेल अछि, सिवाय एकल पूर्व-शवपरीक्षण चोट अर्थात गलेक चारूकात लिगचरक निशानक, आ मृत्युक कारण दम घुटनाइ देखायल गेल अछि। अपीलार्थियों के मामले और अभिलेख पर रखी गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के खिलाफ अस्पष्ट और गंजे आरोपों को छोड़कर, कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं जो कथित अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपीलार्थियों की भागीदारी का खुलासा करते हैं। गीता मेहरोत्रा और Anr.[1] के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, जो अपीलार्थियों के मामले पर पूरी तरह से लागू होता है, हमारा विचार है कि कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

13. उपरोक्त कारणों से, इस अपील की अनुमति दी जाती है और आवेदन No.44475 में दिनांकित 10.12.2018 का विवादित आदेश पारित किया जाता है।

2018 उच्च न्यायालय द्वारा, अलग रखा जाता है। नतीजतन, आरोप पत्र सं। 01 आई. पी. सी. की धारा 498-ए, 323,504,506,304-बी और डी. पी. अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए पी. एस. कोटवाली, जिला गोरखपुर की फाइल पर 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 136 में दर्ज दिनांक 12.10.2018 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा पारित दिनांक 22.10.2018 के परिणामी आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस